न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–95 / 2015

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2015 / 00227 (223 आर.टी.एक)

उनवान

1. सूका उर्फ सिब्बू पुत्र बंशी आयु 65 साल जाति माली निवासी जंहागीरपुर तहसील व जिला करौली राजस्थान।

......अपीलांट / प्रतिवादी

बनाम

1. नाथ्या पुत्र झूत्या जाति माली निवासी बरदाला हाल निवासी बहादुरपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
2. सूकी पत्नी रामजीलाल जाति माली निवासी खातीपुरा तहसील व जिला करौली राजस्थान ।
3. तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली राजस्थान।

....रेस्पोडेन्टस् / वादीगण।

उपस्थितः–

1. श्री विष्णु चन्द बंसल अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री ऐश्वर्य सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 01 व 02।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 06.02.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ करौली जिला करौली में दायर मुकदमा संख्या 162 / 2008 तथा 42 / 15 बउनवान नाथ्या वगैरह बनाम सूका वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.04.11 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28.09.15 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ... इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात वादीगण तथा प्रतिवादी सं. 01 के पिता एवं पूर्वजों के खातेदारी व कब्जें काश्त की भूमि ... वादीगण के हिस्से की भूमि को भी अपने नाम दर्ज करवा लिया है। वादीगण को उनके हिस्से भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी दिलवाई जावें। मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली ने दिनांक 06.04.11 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का आराजीयात में अधिकार मानते हुए वादीगण व प्रतिवादी सं 01 को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की जा रही है।

3. अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 1327 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 1328 रकबा 01 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1329 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नंबर 1462 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा , खसरा नम्बर 1513 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1516 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 1517 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम जहांगीरपुर में स्थित है। उक्त उनवानी नाथ्या वगैरह बनाम सूका वगैरह पूर्व मुकदमा नंबर 147/98 दिनांक 31.08.08 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया था। उसके बाद दिनांक 18.09.08 को उक्त वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लेने का वादी द्वारा ऑर्डर 9 रूल 7 सी0पी0सी0 में आवेदन किया गया और दावा वादी बिना प्रतिवादी/अपीलांट को नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही दावा दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली में तलवी हेतु नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया है जिसमें वादीगण ने तामील कुनिन्दा से साजकर कर फर्जी तामील प्रतिवादी अपीलांट सूका की चस्पादगी से कराई है उक्त तामील पर जिन गवाहो के हस्ताक्षर कराये गये है उस नाम के व्यक्ति ग्राम जंहागीरपुर में नही है। प्रकरण में खसरा नम्बर 1513 के खरीददार राजाराम पुत्र मुरारीलाल जाट व खसरा नम्बर 1516,1517 के खरीददार मोहरसिंह, भंवर, शिवचरण पुत्रान रामखिलाड़ी को पक्षकार नही बनाया गया है और उक्त आराजी को अपीलांट के हिस्से में मानते हुये विधि विरूद्व निर्णय दिनांक 06.04.2011 एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत उपखंड़ अधिकारी करौली के आदेश को निरस्त फरमाया जावे। अपील मीमों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर (राज0)

देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 13.07.2010 को प्रतिवादी सूका के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही होने के बावजूद मातहत अदालत ने आरर्वेट्री रूप से निर्णय दिनांक 06.04.11 के पृष्ठ सं0 5 की लाईन नं0 मे उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाना विधि विरूद्व से लिखा है जबकि जैर अपील निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है इसके बाद दिनांक 14.09.15 को उक्त प्रकरण माननीय निबन्धक मण्डल अजमेर राजस्थान से गुल्लों वगैरह के आवेदन ऑर्डर 01–रूल–10 सी0पी0सी0 के निर्णय की रिविजन दिनांक 27.05.15 को निर्णित होने पर प्राप्त हुयी है और दावा पुनः दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली दिनांक 28.09.15 में नियत की गयी है उक्त दिनांक को भी कोई नोटिस मातहत अदालत ने पक्षकारान को जारी नही किये गये है और बिना प्राथमिक डिक्री के कायम हुये ही बंटवारा स्कीम पूर्व में ही तलव कर फाईनल डिक्री बिना अपीलांट को सुनवाई का नोटिस व अवसर दिये पारित किया है। उक्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट सं0 01 तथा 02 का कोई हक नही हैं। अपीलांट ही आराजीयात का असली हकदार है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट ने साजिशाना संपूर्ण विवादित भूमि का खाता अपने नाम विधिक विरूद्व बनवाया है। क्योंकि विवादित भूमि मे रेस्पोडेंन्टस् सं0 01 व 02 का 2/3 हिस्सा है तथा अपीलांट का 1/3 हिस्सा है जिसे वह किसी दीगर व्यक्ति को पूर्व में ही बेचान कर चुका है। चूंकि अपीलांट व प्रतिवादी दोनो ही बंशी के पुत्र है [illegible] सं0 01 व 02 स्वयं को खातेदार काश्तकार कराने के अधिकारी है। अतः [illegible] द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया सही व विधिक है। अपील अ[illegible] फरमाई जावे।

10. हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर (राज0)

11. रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2066–2071 वाके ग्राम जंहागीरपुर पटवार हल्का जंहागीरपुर तहसील करौली के अनुसार खसरा नंबर 1327 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 1328 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 1329 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 1402 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा सूखा उर्फ सिब्बू पुत्र बंशी कौम माली के नाम दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी करौली की फर्द अहकाम दिनांक 31.03.08 को दावा अदम पैरवी हाजरी में खारिज किया गया था। दिनांक 18.09.08 को अदालत मातहत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही दावे को पुनः नंबर पर लिया गया अर्थात् अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का मौका दिए ही दावे को नंबर पर लिया गया, जो कि विधि के विपरीत है। बिना अपीलांट/प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए ही दिनांक 13.07.10 को प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं जबकि दिनांक 13.07.10 को अदालत मातहत को आदेशिका में दावा दर्ज रजिस्टर होकर पुनः नंबर पर लिए जाने के पुनः आदेश किए गए है। इस प्रकार दिनांक 06.04.11 को अदालत मातहत द्वारा आदेशिका पर प्रारंभिक डिक्री का उल्लेख है जबकि मूल दावा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के यहा विचाराधीन था। तत्पश्चात् दिनांक 28.09.2015 को अदालत मातहत को मूल दावा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त हुआ और उसी दिन अंतिम डिक्री भी कर दी गई।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा दिनांक 31.03.2008 को दावा अदम पैरवी में खारिज किए जाने के उपरान्त अपीलांट/प्रतिवादीगण को अंतिम डिक्री जारी होने तक सुनवाई का अवसर ही नही दिया गया। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.04.11 और अंतिम डिक्री दिनांक 28.09.15 अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही राजस्थान काश्तकारी नियम(बोर्ड) 18–21 की बिना पालना किए ही जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है।

12. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी करौली के 162/2008 तथा 42/15 बउनवान नाथ्या वगैरह बनाम सूका वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.04.11 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 28.09.15 को अपास्त किया जाता है। मातहत अदालत को पत्रावली इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, पत्रावली में उपलब्ध सबूत व साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए पुनः नए सिरे निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 08.03.2023 को सुनवाई के लिए मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी करौली के समक्ष उपस्थित हों।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर (राज०)

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 06.02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
06.02.2023
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाईमाधोपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.13 13:10:51 IST
Reason: SelfAttested